

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अब अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. मोहनी देवी उम्र 60 साल पत्नी स्व. हुकमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
2. धर्मवीर पुत्र स्व. हुकमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
2. तहसीलदार एवं उप पंजियक रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
3. पटवारी हल्का ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, जिला सीकर राजस्थान।
5. सुभाष दत्तक पुत्र मन्शी जाति जाट निवासी गंगापुरा तहसील रामगढ


.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति
धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



मुकदमा नम्बर - 23/14 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम गंगापुरा तहसील रामगढ शेखावाटी मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 100/1 रकबा 0.0227 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 105/2 रकबा 0.0072 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 106/2 रकबा 0.1147 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 108/1 रकबा 0.443 हेक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 0.2089 हेक्टेयर की मंशी बेवाह खेताराम के नाम से बनी खातेदारी निरस्त की जाती है तथा वादीगण मोहनी पत्नि हुक्माराम व धर्मवीर पुत्र हुक्माराम को खसरा नम्बर 100/1 रकबा 0.0227 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 105/2 रकबा 0.0072 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 106/2 रकबा 0.1147 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 108/1 रकबा 0.443 हेक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 0.2089 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा शेष खाता यथावत रहेगा। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

दावा भूराराम क 18/14 सन् 2014

निजी _____ X _____ मुबलिक _____ X _____ बाबत _____ X _____
 मुकदमे का नया सुद वगेरह _____ X _____ फीसदी सालाना आज की तारीख
 को अदा करें।

दस्तावेज में दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.04.2018 सन् 2018 को ज
 किया गया।



मेरठ

दस्तख्त _____
 ओहदा उपखण्ड अधिवक्ता
 राजनन्द शीखावा

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	09.00	00	मुतफरिक	02.00	00
मीशान	17.00	00	मीजान		

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया
 गया हो या नहीं दर्ज करना